न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

गोटीदेवी बनाम ... वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा अ. नं. 243/2016	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
03-03-2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30-03-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
30.03.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। प्रकरण में वकील वादिया ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हो जाने से वकील वादीया ने आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीया के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादिया एक पक्षीय सुनी गई। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार दकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 5906/भू.अ./2019 दिनांक 09.12.2019 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा ट्रेस को डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.04.08 12:50:38 IST Reason: SelfAttested 30/03/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला– सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
243/2016	2016/341	10.10.2016	30.03.2022(अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. लादी देवी पत्नि छोटूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी सूतलियों की तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

वादीया

बनाम्

1. उगन्ता देवी पत्नि मुकेश कुमार
2. गोपाल देवी पत्नि महावीर प्रसाद
   समस्त जाति ब्राह्मण भट्ट, निवासीगण रलावता तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
3. हरिकिशन पुत्र रामसहाय
4. रामपाल पुत्र रामसहाय
5. दाफू बैवा लिछमण (नाम हजफ दिनांक 21.12.2017)
6. रूघनाथ प्रसाद पुत्र लक्ष्मण
7. शिवभगवान पुत्र लक्ष्मण
8. सीताराम पुत्र लक्ष्मण
9. जगदीश पुत्र शिवदयाल
10. रूपनारायण पुत्र शिवदयाल
11. कृष्णगोपाल पुत्र शिवदयाल
12. राजेन्द्र पुत्र शिवदयाल
13. रोशन पुत्र शिवदयाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:50:38 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 3 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

14. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित—

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, वादीया अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 14

वादपत्र तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि वादीया की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि खसरा नम्बर 946 रकबा 0.64 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर जिसमें वादिया हिस्सा 688.67 / 6400 की रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार होकर अपनी भूमि पर पूर्णतः काबिज काश्त व आबाद चली आ रही है। शेष हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 947 रकबा 0.3200 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है जिसमे वादिया हिस्सा 334.33 / 3200 की रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार होकर अपनी भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त व आबाद चली आ रही है। शेष हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित भूमियो की खातेदारी वर्तमान में वादीया एंव प्रतिवादी नम्बर 1 ता 13 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। मौके पर पक्षकारान् वादिया व प्रतिवादीगण अलग–अलग बाहमी बटवारा करके काश्त व आबाद चले आ रहे है तथा वादिया ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 946, 947 कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर में हिस्सा 1 / 6 के हिस्सा 1003 / 1600 की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 15.01.2010 के आधार पर श्री हरिकिशन पुत्र रामसहाय जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:50:38 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

3, बावड़ी कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर से खरीद कर मौके पर अपनी भूमि की खातेदार काबिज काश्तकार होकर पूर्णतः काबिज काश्त चली आ रही है। मौके पर वादिया बाहमी बंटवारा के अनुसार अपनी हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर खसरा नम्बर 946, 947 कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर में नजरी नक्शा में दर्शितानुसार क्षेत्रफल 0.1003 हैक्टर पर पूर्णत काबिज काश्त व आबाद चली आ रही है परन्तु भूमि की खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज होने से वादिया अपनी भूमि का समुचित विकास नहीं कर पा रही है तथा वादिया को संयुक्त खातदेारी होने से राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में काफी परेशानी होती है। इसलिए वादिया भूमी का विधिक तकास्मा करवाकर अपनी उक्त भूमि की खातेदारी अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाकर अलग से लगान कायम करवाने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण को वादिया की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादीया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। वादिया ने प्रतिवादीगण को भूमि के मौके के कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारा अनुसार विधिक तकास्मा करवाकर अलग–अलग खातेदारी दर्ज कराने हेतु कहा तो पहले तो प्रतिवादीगण आश्वासन देते आ रहे है परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है। इसलिए दिनांक 25.9.2016 को इन्कार हो गये तथा मौके के कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारा को भंग कर मनमर्जी से मनचाही जगह पर कब्जा करने व वादिया को बेदखल करने की धमकी दी। इसलिये अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर उक्त वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में वाद करना आवश्यक हुआ है।

वकील वादीया ने दावा वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया है कि:– कृषि भूमि खसरा नम्बर 946, 947 कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर अ[illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादीया व प्रतिवादीगण [illegible] कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारा हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक तकास्मा करवाया जाकर वादीया को उसके रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर खरीदशुदा भूमि खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का नजरी नक्शा में दर्शितानुसार क्षेत्रफल 0.1003 हैक्टर का अलग से राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:50:38 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से मिन/बट्टा नम्बर डालकर दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया गया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 के फौत होने पर उसका नाम हजफ किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 13 के विरूद्ध वकील वादिया ने वादपत्र को विड्रा करवाया जा चुका है। शेष प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 व 14 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रकरण में दिनांक 22.01.2019 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहे गये। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 191/भू.अ./2019 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा प्राप्त हुई। उक्त प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पुनः तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट ली गईं। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 3323/भू.अ./2019 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसके उपरान्त प्रकरण में पुनः तहसीलदार श्रीमाधोपुर से उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शे में दिखाये गये आम रास्ता की लम्बाई व चौड़ाई के सम्बन्ध में एंव उक्त रास्ता संयुक्त खातेदारी या एकल खातेदारी में रहने के सम्बन्ध में पुनः रिपोर्ट ली गईं। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 5906/भू.अ./2019 दिनांक 09.12.2019 के द्वारा उक्त वांछित जॉच रिपोर्ट भिजवाई गई। इसके उपरान्त प्रकरण में पुनः तहसीलदार श्रीमाधोपुर से खातेदारान् के हिस्से पूर्ण करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव पुनः चाहे गये। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 190/भू.अ./2020 दिनांक 03.02.2020 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई। उक्त समस्त रिपोर्ट्स पत्रावली पर उपलब्ध होकर शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादिया ने प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बहस सुनी जाकर प्रकरण में लोक अदालत की भावना से अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:50:38 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील वादीया की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीया द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 कुल दो जमाबन्दियों, जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में वर्णित विवरणानुसार वादग्रस्त भूमि वादीया व प्रतिवादीगण रिकॉर्ड सह खातेदार है। इस आधार पर वादीया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों का कब्जे काश्त अनुसार कृषि भूमियों का विधिक विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीया ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादीया व प्रतिवादीगण को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीया व प्रतिवादीगण को प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने उचित प्रतित होता है। वकील वादीया व पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रि[illegible] नक्शा जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 5906/भू.अ./19 दिनांक [illegible] अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के आधार [illegible] प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:50:38 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रविष्टी

	काश्तकारों के नाम	खसरा न.	रकबा (हैक्टे.में)	किस्म	लगान (रू. में)
	[illegible]ादी देवी पत्नी छोटूराम हिस्सा संपूर्ण जाति जाट सा.मउ खातेदार	946 / 1 947 / 1 कुल किता–2	0.0669 0.0334 कुल रकबा– 0.1003	चाही अव्वल बारानी प्रथम	
2	1. रामपाल पुत्र रामसहाय जाति कुम्हार सा.देह खातेदार हिस्सा 1600 / 2866 2. हरिकिशन पुत्र रामसहाय जाति कुम्हार सा.देह खातेदार हिस्सा 1266 / 2866	947 / 2 947 / 3	0.0364 0.2500	बारानी–2 चाही बारानी–1	
3	1. उगन्ता देवी पत्नि मुकेश कुमार हि0 84 / 5731, जाति ब्राह्मण सा.रलावता खातेदार 2. गोपाल देवी पत्नि महावीरप्रसाद हि0 157 / 5731, जाति ब्राह्मण सा.रलावता खातेदार 3. रामपाल पुत्र रामसहाय हि0 3200 / 5731, जाति कुमावत सा. देह खातेदार 4. हरिकिशन पुत्र रामसहाय हि0 2280 / 5731, जाति कुमावत सा. देह खातेदार	946 / 2	0.5731	चाही–1	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अल[illegible] अल[illegible]की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तुर रखा जावे। तहसीलदार श्री[illegible] [illegible]/भू.अ./19 दिनांक 09.12.2019 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके [illegible]ग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:50:38 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/03/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/03/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.08 12:50:38 IST
Reason: SelfAttested